कार्यालय तहसीलदार, शिकारपुर बुलन्दशहर

पत्रांक /रजि0कानूनगो दिनांक

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील शिकारपुर के अन्तर्गत आने वाले निम्न लिखित ग्रामो के तालाबो/पोखरो को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पटटा आवंटन शिविर का आयोजन शासनादेश सं0 3756–1–2/95 रा0–2 दिनांक 17.10.1995 एवं मा0उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील शिकारपुर में नीलाम पालन पटटा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक 01.10.2015 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक लिये जायेंगे। अपरान्ह 02 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा अपरान्ह 02 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र हेतु न्यूनतम बौली 22,500/–रूपये प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष होगी। उपस्थित व्यक्तियों में समान वरीयता समूह में सर्वाधिक वोली के आधार पर मत्स्य पालन पटटा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी, आय व जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से छह माह पुराना न हो) व प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हो। सर्वाधिक बौली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 10 वर्षीय लगान का 1/4 भाग जमा कराना होगा। पटटा स्वीकृति/अस्वीकृत का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, शिकारपुर का होगा।

कमांक	ग्राम का नाम	गा0सं0	क्षेत्रफल (हे0में)	कमांक	ग्राम का नाम	गा0सं0	क्षेत्रफल (हे0में)
1	आंचरू कलां	606	2.088	7	नगलिया	190	0.481
2	रानउरहमअलीपुर	113	1.794	8	सोई	240	0.873
3	फैजुल्लापुरअजनारा	732	1.187	9	सोई	333	0.822
4	सरभन्ना	489	0.557	10	वान	50	0.923
5	कसूमी	763	0.569	11	सालावाद	536	0.443
6	असावरी	243	0.936		कुल योग	11 कि0	10.673

तहसीलदार
शिकारपुर।

पत्रांक 632(9)/रजि0का0/मत्स्य पटटा/2014–15, दिनांक 1-9-15

प्रतिलिपि–

1. उप जिलाधिकारी महोदय की शिकारपुर सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, डिबाई, अनूपशहर, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

E:\vigyapti 2013.doc

3. सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
5. अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुलक प्रकाशित कराने हेतु ।
6. राजस्व निरीक्षक शिकारपुर/पहासू को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामो के लेखपालो को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित शिविर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु।
7. खण्ड विकास अधिकारी शिकारपुर/पहासू को इस अनुरोध के साथ विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करायें।
8. सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।
9. सम्पादक अमर उजाला/दैनिक जागरण में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

01/9/15

तहसीलदार
शिकारपुर।

E:\vigyapti 2013.doc